1023

[2019] 3 एस. सी. आर. 1023

ए.

एमएमटीसी लिमिटेड।

वी.

एम/एस वेदांत लिमिटेड।

(सिविल अपील सं. 2014 की 1862) 18 फरवरी, 2019

बी.

**[**मोहन एम**.** शांतनागौदर और वाइन सरन**,** जे**.** जे**.]**

मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996:धारा 34,37-भारत में मध्यस्थता निर्णय में हस्तक्षेप का दायरा-धाराओं में किए गए पूर्व और पश्चात संशोधन।34 2015 में, स्थिति समझाई गई।

सी.

मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996:धारा 34,37-दिनांक 14.12.1993 के मध्यस्थता समझौते के संदर्भ में, अपीलार्थी को एक खेप एजेंट के रूप में नियुक्त किया गया था, जिससे प्रत्यर्थी प्रत्यर्थी द्वारा उत्पादित तांबे की छड़ के भंडारण, संचालन और विपणन जैसी सेवाओं का लाभ उठा सकता था-अपीलार्थी ग्राहकों के नाम पर चालान उठाता था और अपने सेवा शुल्क की कटौती करने के बाद प्रत्यर्थी को प्राप्त राशि भेजता था-समझौते को बाद में बदल दिया गया था, और संशोधन ने अपीलार्थी को क्रेडिट पत्र के खिलाफ ग्राहकों को सामान की आपूर्ति करने में सक्षम बनाया और बिक्री की आय को प्रत्यर्थी को जमा करना अपीलार्थी की पूरी जिम्मेदारी थी-तत्काल मामले में विवाद अपीलार्थी द्वारा हिंदुस्तान ट्रांसमिशन प्रोडक्ट्स लिमिटेड (एच. टी. पी. एल.) को की गई आपूर्ति से संबंधित है।यह निम्नलिखित से स्पष्ट है

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.

एच. टी. पी. एल. और प्रत्यर्थी के बीच समझौता कि उनके बीच एक सीधा समझौता मौजूद था-हालाँकि, अपीलकर्ता ने एच. टी. पी. एल. लेनदेन के लिए अपनी संपूर्णता में अपना कमीशन प्राप्त किया, और इस प्रकार स्पष्ट रूप से प्रत्यर्थी और एच. टी. पी. एल. के बीच समझौते का एक लाभार्थी था-अपीलकर्ता, प्रत्यर्थी और एच. टी. पी. एल. के बीच पत्राचार की श्रृंखला से यह भी पता चला कि अपीलकर्ता भी प्रत्यर्थी और एच. टी. पी. एल. के बीच किए गए लेनदेन में सक्रिय रूप से शामिल था, और इस तरह उनके समझौते के तहत एक लाभार्थी था-एच. टी. पी. एल. लेनदेन के संबंध में अपीलकर्ता के नाम पर क्रेडिट पत्र जारी करना अन्य सभी लेनदेनों में जारी किए गए क्रेडिट पत्रों या डिमांड ड्राफ्ट के मामले में अपनाई गई प्रथा के समान था, चाहे वे सीधे प्रत्यर्थी द्वारा बातचीत किए गए हों, या ऐप के माध्यम से प्राप्त किए गए हों।

बी.

सी.

डी.

ई.

याचिका खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा,

पकड़नाः**1.1** मध्यस्थता और सुलह अधिनियम**, 1996** की धारा **34** या धारा **37** के संदर्भ में मध्यस्थता पुरस्कार में हस्तक्षेप किया जा सकता है।जबकि पहला स्वयं एक मध्यस्थता पुरस्कार की चुनौतियों से संबंधित है**,** दूसरा**,** अन्य बातों के साथ**-**साथ**,** धारा **34** के तहत किए गए आदेश के खिलाफ अपीलों से संबंधित है जो एक मध्यस्थता पुरस्कार को अलग करने या अस्वीकार करने से इनकार करता है।जहां तक धारा **34** का संबंध है**,** न्यायालय मध्यस्थता पुरस्कार पर अपील में नहीं बैठता है और धारा **34 (2) (**बी**) (ii)** के तहत प्रदान किए गए सीमित आधार पर गुण**-**दोष पर हस्तक्षेप कर सकता है**,** यानी यदि पुरस्कार भारत की सार्वजनिक नीति के खिलाफ है।**2015** में **1996** के अधिनियम में संशोधन से पहले**,** भारतीय सार्वजनिक नीति के उल्लंघन में**,** भारतीय कानून की मौलिक नीति का उल्लंघन**,** भारत के हित का उल्लंघन**,** न्याय या नैतिकता के साथ टकराव और मध्यस्थता पुरस्कार में पेटेंट अवैधता का अस्तित्व शामिल है।इसके अतिरिक्त**,** "मौलिक ए" की अवधारणा

एफ.

जी.

एच.

एमएमटीसी लिमिटेड बनाम.एम/एस वेदांत लिमिटेड।

भारतीय कानून की नीति "में कानूनों और न्यायिक उदाहरणों का अनुपालन, न्यायिक दृष्टिकोण अपनाना, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का अनुपालन और वेडनसबरी की तर्कसंगतता शामिल होगी।इसके अलावा, "पेटेंट अवैधता" का अर्थ भारत के मूल कानून का उल्लंघन, **1996** के अधिनियम का उल्लंघन और अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन माना गया है।यह केवल तभी है जब इन शर्तों में से एक शर्त पूरी हो जाती है कि न्यायालय धारा **34 (2) (**बी**) (ii)** के संदर्भ में मध्यस्थता पुरस्कार में हस्तक्षेप कर सकता है, लेकिन इस तरह के हस्तक्षेप में विवाद के गुण-दोष की समीक्षा शामिल नहीं है, और यह उन स्थितियों तक सीमित है जहां मध्यस्थ के निष्कर्ष मनमाने, मनमौजी या विकृत हैं, या जब न्यायालय की अंतरात्मा हैरान है, या जब अवैधता तुच्छ नहीं है, लेकिन मामले की जड़ तक जाती है।एक मध्यस्थ निर्णय में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है यदि मध्यस्थ द्वारा लिया गया दृष्टिकोण तथ्यों के आधार पर एक संभावित दृष्टिकोण है।**[**पैरा **10,11] [1031-**सी-एच**; 1032-**ए**]**

बी.

सी.

एसोसिएट बिल्डर्स बनाम डीडीए (2015) 3 एससीसी 49; ओएनजीसी

लिमिटेड वी.सॉ पाइप्स लिमिटेड (2003) 5 एससीसी 705:[2003] 3

डी.

एस**.** सी**.** आर**. 691;** हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड बनाम**.**मित्रों कोयला

कार्बनीकरण, (2006) 4 एस. सी. सी. 445; मैकडरमोट

अंतर्राष्ट्रीय बनाम बर्न मानक **Co.Ltd**। **(2006) 11** एससीसी

**181 :[2006] 2** पूरक।एससीआर **409-**पर निर्भर

**1.2 2015** में धारा **34** में संशोधन के बाद स्थिति में संशोधन किया गया।धारा **34 (2)** में स्पष्टीकरण **1** को शामिल करने के अनुसरण में, भारतीय सार्वजनिक नीति के उल्लंघन के दायरे को इस हद तक संशोधित किया गया था कि अब इसका अर्थ पुरस्कार देने में धोखाधड़ी या भ्रष्टाचार, अधिनियम की धारा **75** या धारा **81** का उल्लंघन, भारतीय कानून की मौलिक नीति का उल्लंघन और न्याय या नैतिकता की सबसे बुनियादी धारणाओं के साथ टकराव है।इसके अतिरिक्त, धारा **34** में उप-धारा **(2** ए**)** डाली गई थी, जिसमें यह प्रावधान किया गया था कि घरेलू मध्यस्थता के मामले में, भारतीय सार्वजनिक नीति के

उल्लंघन में पेटेंट अवैधता भी शामिल है जो पुरस्कार के सामने दिखाई देती है।उसी के परंतुक में कहा गया है कि एक पुरस्कार को केवल कानून के गलत अनुप्रयोग के आधार पर या साक्ष्य की पुनः प्रशंसा के आधार पर अलग नहीं किया जाएगा।**[**अनुच्छेद **11] [1032-**बी**-**डी**] 1.3** धारा **34** के तहत किए गए आदेश के साथ धारा **37** के तहत हस्तक्षेप धारा **34** के तहत निर्धारित प्रतिबंधों से आगे नहीं बढ़ सकता है।दूसरे शब्दों में**,** न्यायालय एक कार्य नहीं कर सकता है

ई.

एफ.

जी.

एच.

1026 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2019] 3 एस. सी. आर.

ए.

पुरस्कार के गुणों का स्वतंत्र मूल्यांकन**,** और केवल यह सुनिश्चित करना चाहिए कि धारा **34** के तहत न्यायालय द्वारा शक्ति का प्रयोग प्रावधान के दायरे से अधिक नहीं है।इस प्रकार**,** यदि न्यायालय द्वारा धारा **34** के तहत और न्यायालय द्वारा धारा **37** के तहत अपील में मध्यस्थता पुरस्कार की पुष्टि की जाती है**,** तो इस न्यायालय को इस तरह के समवर्ती निष्कर्षों को बाधित करने के लिए बेहद सतर्क और धीमा होना चाहिए।**[**पैरा **12] [1032-**डी**-**एफ**]**

बी.

**2.** किसी अनुबंध की शर्तों की व्याख्या करते समय**,** पक्षों का आचरण और आदान**-**प्रदान किए गए पत्राचार भी प्रासंगिक कारक होंगे और इस पर विचार करना मध्यस्थ के अधिकार क्षेत्र में आता है।माध्यस्थम न्यायाधिकरण के साथ**-**साथ न्यायालयों के बहुमत ने अभिलेख पर सामग्री पर विचार करने पर पाया**,** जिसमें दिनांकित समझौता**,** पक्षों के बीच पत्राचार और मौखिक साक्ष्य शामिल हैं**,** कि समझौता ग्राहकों के प्रकार के भीतर कोई अंतर नहीं करता है**,** और इसके अलावा कि एच**.** टी**.** पी**.** एल**.** को आपूर्ति अपीलकर्ता और प्रत्यर्थी के बीच किसी भी स्वतंत्र समझ को आगे बढ़ाने के लिए नहीं की गई थी जो दिनांकित समझौते द्वारा शासित नहीं थी।एच**.** टी**.** पी**.** एल**.** और प्रत्यर्थी के बीच दिनांकित **28.07.1994** समझौते से यह स्पष्ट है कि उनके बीच एक सीधा समझौता था।चाहे जो भी हो**,** अपीलार्थी ने एच**.** टी**.** पी**.** एल**.** लेनदेन के लिए पूरी तरह से अपना कमीशन प्राप्त किया**,** और इस प्रकार स्पष्ट रूप से प्रत्यर्थी और एच**.** टी**.** पी**.** एल**.** के बीच समझौते का लाभार्थी था। इसके अलावा**,** इस संबंध में**,** बहुमत पुरस्कार में**,** अपीलकर्ता यह नहीं दिखा सका कि वह किस अलग समझौते के तहत दिनांकित समझौते के अलावा ऐसी बिक्री से कमीशन का हकदार

था, और किन सेवाओं के लिए, यदि लेन-देन में उसकी एकमात्र भूमिका एच. टी. पी. एल. को अपने गोदामों से माल उठाने की अनुमति देना था।[पारस **14-16] [1033-C-F]**

सी.

डी.

ई.

एफ.

प्योर हीलियम इंडिया (पी) लिमिटेड बनामओ. एन. जी. सी. **(2003) 8** एस. सी. सी. **593**

:[2003] 4 पूरक।एससीआर 561; डी. डी. शर्मा बनाम भारत संघ (2004) 5 एससीसी 325:[2004] 1 पूरक।एस. सी. आर. 767-निर्भर

जी.

**3.1** एच. टी. पी. एल. लेन-देन के संबंध में अपीलार्थी के नाम पर ऋण पत्र जारी करना अन्य सभी लेन-देनों में जारी किए गए ऋण पत्रों या मांग मसौदों के मामले में अपनाई गई प्रथा के समान था, चाहे सीधे ए.

एच.

1027

एमएमटीसी लिमिटेड बनाम.एम/एस वेदांत लिमिटेड।

प्रत्यर्थी, या अपीलार्थी के माध्यम से प्राप्त किया गया, जो यह सुझाव देता है कि इस मामले में अपीलार्थी का यह कर्तव्य भी था कि वह यह सुनिश्चित करे कि जारी किए गए ऋण के उपयोग पत्र प्रामाणिक थे, और ऋण के स्टैंड-बाय पत्रों के मामले में, कि देय तिथि पर भुगतान की विफलता के मामले में, दिनांक **14.12.1993** समझौते के संदर्भ में समय पर बातचीत की गई थी।न्यायालयों ने पक्षकारों के बीच अनुबंध के नियमों और शर्तों का उल्लेख करते हुए और इस तथ्य का उल्लेख करते हुए कि अप्रैल, मई और जुलाई **1995** की अवधि में एच. टी. पी. एल. को की गई बिक्री के संबंध में, प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को दिनांकित **06.12.1995** के संचार पर भी सही ढंग से भरोसा किया। ब्याज सहित **9.20** करोड़ रुपये अभी भी प्राप्त होने थे।यह संचार स्पष्ट रूप से एच. टी. पी. एल. से बकाया की वसूली करने और प्रत्यर्थी को अग्रेषित करने के लिए अपीलार्थी के कर्तव्य को प्रदर्शित करता है। [अनुच्छेद **19,20] [1034-**ई-एच; **1035-**ए] **3.2** अदालतों द्वारा एक अन्य महत्वपूर्ण संचार जिस पर सही ढंग से भरोसा किया गया है, वह है प्रत्यर्थी को अपीलार्थी का दिनांकित पत्र, जिसमें उसे आपूर्ति की गई वस्तुओं की गुणवत्ता के संबंध में एच. टी. पी.

एल. द्वारा हर्जाने के लिए मुकदमा दायर करने के बारे में सूचित किया गया है।यह पत्राचार एच. टी. पी. एल. को एक ग्राहक के रूप में संदर्भित करता है जिसे प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी से परिचित कराया गया था।इसे दिनांकित **14.12.1993** समझौते के संदर्भ में संबोधित किया गया था, जो एक स्पष्ट स्वीकारोक्ति के बराबर है कि एच. टी. पी. एल. को की गई बिक्री उक्त समझौते के संदर्भ में थी।मामले के इस दृष्टिकोण में, अपीलार्थी के लिए यह तर्क देना खुला नहीं है कि प्रत्यर्थी और एच. टी. पी. एल. के बीच समझौता अपीलार्थी और प्रत्यर्थी के बीच दिनांकित समझौते से स्वतंत्र था और बाद वाला ऐसे लेनदेन पर लागू नहीं होता था।इसके अलावा, अपीलार्थी के अधिकारियों के मौखिक साक्ष्य से संकेत मिलता है कि अपीलार्थी ने यह सुनिश्चित करने के लिए कोई प्रयास नहीं किया कि एच. टी. पी. एल. को की गई आपूर्ति से संबंधित क्रेडिट पत्रों का सम्मान किया जाए, जो अपीलार्थी की ओर से घोर लापरवाही की ओर इशारा करता है।**1996** के अधिनियम की धारा **34** और **37** के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि किए गए बहुमत पुरस्कार में लिया गया दृष्टिकोण, अपीलार्थी और प्रत्यर्थी के बीच दिनांकित समझौते की शर्तों के उचित निर्माण और अभिलेख पर सामग्री पर विचार के आधार पर एक संभावित दृष्टिकोण है।विवाद को अपीलार्थी और प्रत्यर्थी के बीच दिनांक **14.12.1993** के समझौते के तहत कवर किया गया था, और इस तरह विवाद है

बी.

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.

1028 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2019] 3 एस. सी. आर.

ए.

उक्त समझौते के तहत मध्यस्थता खंड द्वारा शासित।इस प्रकार, इस आधार पर बहुमत पुरस्कार को बाधित करने का कोई कारण नहीं है कि विवाद का विषय मध्यस्थता योग्य नहीं था।**[**पारस **21,22** और **23,24] [1035-**बी-एफ**]**

मामला कानून संदर्भ

बी.

**(2015) 3** एससीसी **49**

उस पर भरोसा करें

पैरा **11**

पैरा **11**

**[ 2003] 3** एस**.** सी**.** आर**. 691 (2006) 4** एस**.** सी**.** सी**. 445** पर निर्भर था

पैरा **11**

**[ 2006] 2** पूरक।एस**.** सी**.** आर**. 409** पर निर्भर

पैरा **11**

सी.

**[2003] 4** पूरक।एस**.** सी**.** आर**. 561** पर निर्भर

पैरा **14**

**[2004] 1** पूरक।एस**.** सी**.** आर**. 767** पर निर्भर

पैरा **14**

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः2014 की सिविल अपील सं. 1862।

डी.

2002 के अपील सं. 949 में बॉम्बे के उच्च न्यायालय के दिनांकित 09.02.2009 के निर्णय और आदेश से।

श्याम दीवान, वरिष्ठ अधिवक्ता, सुश्री सुरेखा रमन, पुरुषोत्तम कुमार झा, सुश्री रेम्या राज, अधिवक्ता।अपीलार्थी के लिए।

संजय आर. हेगड़े, वरिष्ठ अधिवक्ता, अनिल कुमार मिश्रा-I, प्रांजल किशोर, अंकित धवन, अधिवक्ता।प्रत्यर्थी के लिए।

ई.

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

मोहन एम**.** शांतनागौदर**,** जे**.**

1. यह दीवानी अपील 2002 की अपील संख्या 949 में बॉम्बे में उच्च न्यायालय की एक खंड पीठ द्वारा पारित निर्णय और अंतिम आदेश से उत्पन्न होती है, जिसमें विद्वान एकल न्यायाधीश के निर्णय और आदेश की पुष्टि की गई है, जिसके तहत बहुमत पुरस्कार को चुनौती देने वाली अपीलार्थी की आपत्तियों की याचिका को अस्वीकार कर दिया गया था।बहुमत

पुरस्कार के माध्यम से, अपीलार्थी को उनके दिनांकित समझौते 14.12.1993 के तहत प्रत्यर्थी को कुछ राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया गया था।

एफ.

जी.

2. तत्काल अपील करने वाले संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार
हैं:प्रत्यर्थीमप्रत्यर्थीप्रत्यर्थीसप्रत्यर्थीरप्रत्यर्थी्प्रत्यर्थीसप्रत्यर्थी
प्रत्यर्थीसप्रत्यर्थी्प्रत्यर्थीटप्रत्यर्थीरप्रत्यर्थीलप्रत्यथीाप्रत्यर्थीइप्रत्यर्थीटप्रत्यर्थी
प्रत्यर्थीइप्रत्यर्थींप्रत्यर्थीडप्रत्यर्थीसप्रत्यर्थी्प्रत्यर्थीटप्रत्यर्थी्प्रत्यर्थीरप्रत्यर्थीीप्रत्यर्थीजप्रत्यर्थी
प्रत्यर्थी(प्रत्यर्थीइप्रत्यर्थींप्रत्यर्थीडप्रत्यर्थिीप्रत्यर्थीयप्रत्यथीाप्रत्यर्थी)प्रत्यर्थी
प्रत्यर्थीलप्रत्यर्थिीप्रत्यर्थीमप्रत्यर्थिीप्रत्यर्थीटप्रत्यर्थीप्रत्यर्थीडप्रत्यर्थी
प्रत्यर्थी(प्रत्यर्थीजप्रत्यर्थिीप्रत्यर्थीसप्रत्यर्थीकप्रत्यथीाप्रत्यर्थी प्रत्यर्थीनप्रत्यथीाप्रत्यर्थीमप्रत्यर्थी
प्रत्यर्थीबप्रत्यर्थीदप्रत्यर्थीलप्रत्यर्थीकप्रत्यर्थीरप्रत्यर्थी
प्रत्यर्थीमप्रत्यर्थीप्रत्यर्थीसप्रत्यर्थीरप्रत्यर्थी्प्रत्यर्थीसप्रत्यर्थी
प्रत्यर्थीवप्रत्यर्थीप्रत्यर्थीदप्रत्यथीाप्रत्यर्थींप्रत्यर्थीतप्रत्यथीाप्रत्यर्थी
प्रत्यर्थीलप्रत्यर्थिीप्रत्यर्थीमप्रत्यर्थिीप्रत्यर्थीटप्रत्यर्थीप्रत्यर्थीडप्रत्यर्थी
प्रत्यर्थीरप्रत्यर्थीखप्रत्यथीाप्रत्यर्थी प्रत्यर्थीगप्रत्यर्थीयप्रत्यथीाप्रत्यर्थी
प्रत्यर्थीहप्रत्यर्थींप्रत्यर्थी)प्रत्यर्थी प्रत्यर्थीनप्रत्यर्थिीप्रत्यर्थीरप्रत्यर्थींप्रत्यर्थीतप्रत्यर्थीरप्रत्यर्थी
प्रत्यर्थीकप्रत्यथीाप्रत्यर्थीसप्रत्यर्थी्प्रत्यर्थीटप्रत्यर्थी प्रत्यर्थीकप्रत्यथीींप्रत्यर्थीपप्रत्यर्थीरप्रत्यर्थी
प्रत्यर्थीएप्रत्यर्थी प्रत्यर्थीकप्रत्यथीाप्रत्यर्थी
प्रत्यर्थीनप्रत्यर्थिीप्रत्यर्थीरप्रत्यर्थी्प्रत्यर्थीमप्रत्यथीाप्रत्यर्थीतप्रत्यथीाप्रत्यर्थी
प्रत्यर्थीथप्रत्यथीाप्रत्यर्थी।प्रत्यर्थी

एच.

1029

एमएमटीसी लिमिटेड बनाम.एम/एस वेदांत लिमिटेड. [मोहन एम. शांतनगौदर, जे.] ए.

रॉड्स।दिनांक 1 के समझौते के अनुसार, एक सरकारी कंपनी, एम. एम. टी. सी. लिमिटेड (इसमें अपीलकर्ता) को एक खेप एजेंट के रूप में नियुक्त किया गया था, जिससे प्रत्यर्थी द्वारा उत्पादित तांबे की छड़ के भंडारण, संचालन और विपणन जैसी सेवाओं का लाभ उठा सकता था।इस तरह की छड़ें अपीलार्थी के विभिन्न गोदामों में रखी जानी थीं।14.12.1993 दिनांकित समझौते में एक मध्यस्थता खंड था।

बी.

3. महत्वपूर्ण रूप से, उपरोक्त समझौते के तहत, अपीलकर्ता ने बेचे और वितरित किए गए उत्पादों के ग्राहकों के नाम पर अपने स्वयं के चालान जुटाए।सामान केवल ग्राहक द्वारा अपीलार्थी को 100% अग्रिम के भुगतान पर बेचा जाना था, जिसे तब रुपये की दर से सेवा शुल्क (यानी कमीशन) काटने के बाद प्रत्यर्थी को भेजना था। 500/- प्रति मीट्रिक टन।

सी.

4. उपरोक्त समझौते को पहली बार 06.01.1994 पर पार्टियों के बीच एक समझौता ज्ञापन के संदर्भ में भौतिक रूप से बदल दिया गया था।इस संशोधन ने अपीलार्थी को ग्राहकों को ऋण पत्र (उपयोग या स्टैंड-बाय) के खिलाफ वस्तुओं की आपूर्ति करने में सक्षम बनाया, यानी बिना अग्रिम भुगतान के, यह कहते हुए कि यह सुनिश्चित करना अपीलार्थी की "कुल जिम्मेदारी" थी कि प्रस्तुत ऋण पत्र की ईमानदारी और ऋण पत्र के खिलाफ की गई आपूर्ति के लिए मूलधन और ब्याज का भुगतान नियत तिथि पर किया गया था।स्टैंड-बाय-लेटर ऑफ क्रेडिट के मामले में, यह आगे निर्दिष्ट किया गया था कि यह अपीलार्थी की जिम्मेदारी थी, नियत तारीख तक भुगतान न करने की स्थिति में, समय पर स्टैंड-बाय लेटर ऑफ क्रेडिट पर बातचीत करना और बिक्री की आय को प्रत्यर्थी को क्रेडिट करना।ब्याज 18.25% प्रति वर्ष निर्धारित किया गया था।

डी.

ई.

5. उपरोक्त शर्तों में एक और संशोधन 20.01.1994 पर पक्षों के बीच एक बैठक के माध्यम से किया गया था, जिसके कार्यवृत्त से संकेत मिलता है कि अपीलकर्ता इसके बाद अपनी शर्तों और जिम्मेदारी पर ग्राहकों को ऋण दे सकता है, और ऋण दिए जाने की स्थिति में, ग्राहक को तांबे की छड़ें देने पर अपीलकर्ता द्वारा प्रत्यर्थी को भुगतान किया जाना था।

एफ.

6. तत्काल मामले में विवाद अप्रैल 1995 के बाद हिंदुस्तान ट्रांसमिशन प्रोडक्ट्स लिमिटेड (संक्षेप में, "एच. टी. पी. एल".) को अपीलार्थी द्वारा बनाई गई प्रतिवादी की तांबे की छड़ की आपूर्ति से संबंधित है।एच. टी. पी. एल. द्वारा अपीलार्थी को इसके लिए भुगतान नहीं किया गया था, जो बाद में प्रत्यर्थी को आपूर्ति किए गए सामान के लिए भुगतान करने में भी विफल रहा।इसलिए, प्रत्यर्थी ने दिनांकित 14.12.1993 समझौते के तहत मध्यस्थता खंड का आह्वान किया और विवाद को तीन सदस्यीय मध्यस्थता न्यायाधिकरण को भेजा गया।

जी.

एच.

7. मध्यस्थता न्यायाधिकरण के बहुमत ने प्रत्यर्थी के पक्ष में पाया, और अपने दिनांक 27.06.2001 के निर्णय के माध्यम से, अन्य बातों के साथ-साथ अपीलार्थी को प्रत्यर्थी को रु। 15,73,77,296/- 14 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज के साथ 05.02.1997 से पुरस्कार की तारीख तक और उसके बाद 18 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से, साथ ही साथ रु। आई. डी. 1 तक के अतिदेय भुगतान पर ब्याज के रूप में 2 करोड़ 25 लाख रुपये।उक्त पुरस्कार की पुष्टि बॉम्बे उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश के साथ-साथ उसकी खंड पीठ ने भी की थी।

बी.

8. उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश के समक्ष अपीलार्थी द्वारा चुनौती दिए जाने के कई आधार थे; हालाँकि, खंड पीठ के साथ-साथ इस न्यायालय के समक्ष उठाया गया मुख्य आधार दिनांकित 14.12.1993 समझौते के तहत मध्यस्थता खंड के तहत विवाद की मध्यस्थता से संबंधित है।इस आधार में अपीलार्थी द्वारा उठाए गए अन्य सभी तर्क शामिल हैं। विस्तार से, यह अपीलार्थी का मामला है कि वह केवल दिनांकित 14.12.1993 समझौते के अनुसार अपीलार्थी द्वारा व्यवस्थित ग्राहकों को प्रत्यर्थी के सामान की आपूर्ति करता था। हालांकि, कभी-कभी, अपीलार्थी को प्रत्यर्थी, यानी मेसर्स वेदांता लिमिटेड के अनुरोध पर मेसर्स वेदांता लिमिटेड द्वारा व्यवस्था किए गए ग्राहकों को अपीलार्थी के गोदामों में संग्रहीत अपने सामान को उठाने की अनुमति देकर इस प्रक्रिया से विचलन करना पड़ता था।इसके अलावा अपीलार्थी का मामला यह है कि जब भी उसने यह विचलन किया, अपीलार्थी प्रत्यर्थी और संबंधित ग्राहक के बीच अनुबंध से बाध्य नहीं था, क्योंकि ऐसा अनुबंध दिनांकित समझौते से स्वतंत्र और पूरी तरह से अलग था।जब भी प्रत्यर्थी और उसके ग्राहकों के बीच कोई सीधा समझौता होता था (अपीलार्थी के माध्यम से व्यवस्था नहीं की जाती थी), तो ग्राहकों द्वारा सीधे प्रत्यर्थी को भुगतान किया जाना था, जिसके लिए अपीलार्थी जिम्मेदार नहीं होगा।तथापि, यदि लेन-देन दिनांक 1 दिनांकित समझौते के अनुसार हुआ, अर्थात यदि अपीलार्थी अपीलार्थी के माध्यम से बुक किए गए ग्राहकों को प्रत्यर्थी के सामान की आपूर्ति कर रहा था, तो अपीलार्थी ग्राहकों से बिक्री पर विचार एकत्र करने और सहमति के अनुसार कमीशन काटकर उसे प्रत्यर्थी को भेजने के लिए जिम्मेदार होगा।इसलिए, तत्काल मामले में प्रत्यर्थी और उसके ग्राहक एच. टी. पी. एल. के बीच प्रत्यक्ष समझौता अपीलार्थी के लिए बाध्यकारी नहीं होगा, और इसके परिणामस्वरूप मध्यस्थता कार्यवाही के अधीन नहीं किया जा सकता था जिसके कारण दिनांक 27.06.2001 पर मध्यस्थता पुरस्कार दिया गया था।

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.

1031

एमएमटीसी लिमिटेड बनाम.एम/एस वेदांत लिमिटेड. [मोहन एम. शांतनगौदर, जे.] ए.

ए.

9. इसके विपरीत, प्रत्यर्थी का मामला यह है कि प्रत्यर्थी की ओर से अपीलार्थी द्वारा किए गए लेन-देन की प्रकृति के भीतर ऐसा कोई अंतर नहीं है।इसके अलावा, यह प्रस्तुत किया जाता है कि हालांकि प्रत्यर्थी और एच. टी. पी. एल. के बीच एक समझौता था, ऐसे समझौते की शर्तों को अपीलार्थी को सूचित किया गया था, जिसकी ऐसी शर्तों की स्वीकृति पर 14.12.1993 दिनांकित समझौते को इस हद तक संशोधित किया गया था।

बी.

10. आगे बढ़ने से पहले, हमें भारत में मध्यस्थता निर्णय में हस्तक्षेप के दायरे के संबंध में कानून की मौजूदा स्थिति पर संक्षिप्त रूप से पुनर्विचार करना आवश्यक लगता है, हालांकि हम उसी के बारे में सिद्धांतों पर विस्तार से चर्चा करके इस निर्णय पर बोझ नहीं डालना चाहते हैं।इस तरह का हस्तक्षेप मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 (संक्षेप में, "1996 अधिनियम") की धारा 34 या धारा 37 के संदर्भ में किया जा सकता है।जबकि पहला स्वयं एक मध्यस्थता पुरस्कार के लिए चुनौतियों से संबंधित है, दूसरा, अन्य बातों के साथ-साथ, धारा 34 के तहत किए गए आदेश के खिलाफ अपीलों से संबंधित है जो एक मध्यस्थता पुरस्कार को अलग करने या अस्वीकार करने से इनकार करता है।

सी.

डी.

11. जहाँ तक धारा 34 का संबंध है, अब तक स्थिति अच्छी तरह से तय हो चुकी है कि न्यायालय मध्यस्थता पुरस्कार पर अपील में नहीं बैठता है और धारा 34 (2) (बी) (ii) के तहत प्रदान किए गए सीमित आधार पर गुण-दोष पर हस्तक्षेप कर सकता है, अर्थात यदि पुरस्कार भारत की सार्वजनिक नीति के खिलाफ है।2015 में 1996 के अधिनियम में संशोधन से पहले इस न्यायालय के निर्णयों के माध्यम से स्पष्ट की गई कानूनी स्थिति के अनुसार, भारतीय सार्वजनिक नीति के उल्लंघन में भारतीय कानून की मौलिक नीति का उल्लंघन, भारत के हित का उल्लंघन, न्याय या नैतिकता के साथ संघर्ष और मध्यस्थता पुरस्कार में पेटेंट अवैधता का अस्तित्व शामिल है।इसके अतिरिक्त, "भारतीय कानून की मौलिक नीति" की अवधारणा में कानूनों और न्यायिक उदाहरणों का अनुपालन, न्यायिक दृष्टिकोण अपनाना, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का अनुपालन और वेड्सबरी की तर्कसंगतता

शामिल होगी।इसके अलावा, "पेटेंट अवैधता" का अर्थ भारत के मूल कानून का उल्लंघन, 1996 के अधिनियम का उल्लंघन और अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन माना गया है।

ई.

एफ.

यह केवल तभी है जब इन शर्तों में से एक शर्त पूरी हो जाती है कि न्यायालय धारा 34 (2) (बी) (ii) के संदर्भ में मध्यस्थता पुरस्कार में हस्तक्षेप कर सकता है, लेकिन इस तरह के हस्तक्षेप में विवाद के गुण-दोष की समीक्षा शामिल नहीं है, और यह उन स्थितियों तक सीमित है जहां मध्यस्थ के निष्कर्ष मनमाने, मनमौजी या विकृत हैं, या जब न्यायालय की अंतरात्मा हैरान है, या जब अवैधता तुच्छ नहीं है, लेकिन मामले की जड़ तक जाती है।एक मध्यस्थ निर्णय में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है यदि मध्यस्थ द्वारा लिया गया दृष्टिकोण

जी.

एच.

1032 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2019] 3 एस. सी. आर.

तथ्यों पर आधारित एक संभावित दृष्टिकोण है।(एसोसिएट बिल्डर्स बनाम डी. डी. ए. देखें,

(2015) 3 एससीसी 49)।ओ. एन. जी. सी. लिमिटेड बनाम भी देखें।सॉ पाइप्स लिमिटेड, (2003) 5 एस. सी. सी. 705; हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड बनाम।मित्रों, कोल कार्बोनाइजेशन, (2006) 4 एस. सी. सी. 445; और मैकडरमोट इंटरनेशनल बनाम बर्न स्टैंडर्ड कंपनी लिमिटेड,

(2006) 11 एससीसी 181)।यह ध्यान रखना प्रासंगिक है कि धारा 34 में 2015 के संशोधनों के बाद, उपरोक्त स्थिति कुछ हद तक संशोधित है।धारा 34 (2) में स्पष्टीकरण 1 को शामिल करने के अनुसरण में, भारतीय सार्वजनिक नीति के उल्लंघन के दायरे को इस हद तक संशोधित किया गया है कि अब इसका अर्थ पुरस्कार देने में धोखाधड़ी या भ्रष्टाचार, अधिनियम की धारा 75 या धारा 81 का उल्लंघन, भारतीय कानून की मौलिक नीति का उल्लंघन और न्याय या नैतिकता की सबसे बुनियादी धारणाओं के साथ टकराव है।इसके अतिरिक्त, धारा 34 में उप-धारा (2 ए) जोड़ी गई है, जिसमें यह प्रावधान है कि घरेलू मध्यस्थता के मामले में, भारतीय सार्वजनिक नीति के उल्लंघन में पेटेंट अवैधता भी शामिल है जो पुरस्कार के सामने दिखाई देती है।उसी के परंतुक में कहा गया है कि किसी पुरस्कार को केवल कानून के गलत अनुप्रयोग के आधार पर या साक्ष्य की पुनः प्रशंसा के आधार पर अलग नहीं किया जाएगा।12. जहां तक धारा 37 के अनुसार धारा 34 के तहत किए गए आदेश में हस्तक्षेप का संबंध है, यह विवादित नहीं हो सकता है कि धारा 37 के तहत इस तरह का हस्तक्षेप धारा 34 के तहत निर्धारित प्रतिबंधों से परे नहीं जा सकता है।दूसरे शब्दों में,

न्यायालय पुरस्कार के गुण-दोष का स्वतंत्र मूल्यांकन नहीं कर सकता है, और उसे केवल यह सुनिश्चित करना चाहिए कि धारा 34 के तहत न्यायालय द्वारा शक्ति का प्रयोग प्रावधान के दायरे से अधिक नहीं है।इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि यदि न्यायालय द्वारा धारा 34 के तहत और न्यायालय द्वारा धारा 37 के तहत एक अपील में मध्यस्थता पुरस्कार की पुष्टि की गई है, तो इस न्यायालय को इस तरह के समवर्ती निष्कर्षों को बाधित करने के लिए बेहद सतर्क और धीमा होना चाहिए।

बी.

सी.

डी.

ई.

एफ.

13. मध्यस्थता अधिनिर्णय में हस्तक्षेप के लिए उपरोक्त आधारों को नोट करने के बाद, अब यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि तत्काल प्रश्न यह निर्धारित करने से संबंधित है कि क्या मध्यस्थता अधिनिर्णय किसी ऐसे विवाद से संबंधित है जिस पर विचार नहीं किया गया है या जो मध्यस्थता के लिए प्रस्तुत करने की शर्तों के भीतर नहीं आता है, या मध्यस्थता के लिए प्रस्तुत करने के दायरे से बाहर के मामलों पर निर्णय शामिल है।हालाँकि, इस प्रश्न को न्यायालयों द्वारा पक्षों के बीच अनुबंध के निर्माण के संदर्भ में संबोधित किया गया है, और इस तरह से यह सुरक्षित रूप से कहा जा सकता है कि इस तरह के निर्माण की समीक्षा रिकॉर्ड पर सामग्री के पुनर्मूल्यांकन के संदर्भ में नहीं की जा सकती है, लेकिन केवल ऊपर चर्चा किए गए निर्णय के साथ हस्तक्षेप को नियंत्रित करने वाले सिद्धांतों के संदर्भ में की जा सकती है।

जी.

एच.

1033

एमएमटीसी लिमिटेड बनाम.एम/एस वेदांत लिमिटेड. [मोहन एम. शांतनगौदर, जे.] ए.

ए.

14. इस मोड़ पर यह देखना भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि अनुबंध की शर्तों की व्याख्या करते समय, पक्षों का आचरण और आदान-प्रदान किए गए पत्राचार भी प्रासंगिक कारक होंगे और इस पर विचार करना मध्यस्थ के अधिकार क्षेत्र में है।(मैकडरमोट को देखें।

इंटरनेशनल इंक**.** वी**.**बर्न स्टैंडर्ड कंपनी लिमिटेड **(**उपरोक्त**);** प्योर हीलियम इंडिया **(**पी**)** लिमिटेड बनाम।ओ**.** एन**.** जी**.** सी**. (2003) 8** एस**.** सी**.** सी**. 593,** डी**.** डी**.** शर्मा बनाम यूनियन ऑफ इंडिया

बी.

भारत, (2004) 5 एससीसी 325)।15. हमने अभिलेख की सामग्री के साथ-साथ बहुमत पुरस्कार और विद्वान एकल न्यायाधीश और खंड पीठ के निर्णयों का अध्ययन किया है। माध्यस्थम न्यायाधिकरण के साथ-साथ न्यायालयों के बहुमत ने अभिलेख पर सामग्री पर विचार करने पर पाया, जिसमें दिनांकित समझौता, पक्षों के बीच पत्राचार और मौखिक साक्ष्य शामिल हैं, कि समझौता ग्राहकों के प्रकार के भीतर कोई अंतर नहीं करता है, और इसके अलावा कि एच. टी. पी. एल. को आपूर्ति अपीलकर्ता और प्रत्यर्थी के बीच किसी भी स्वतंत्र समझ को आगे बढ़ाने के लिए नहीं की गई थी जो दिनांकित समझौते द्वारा शासित नहीं थी।

सी.

डी.

16. अपीलार्थी ने हमारे सामने प्रत्यर्थी से संबोधित कई पत्राचारों पर प्रकाश डाला है जो इस तथ्य का उल्लेख करते हैं कि एच. टी. पी. एल. को बिक्री एच. टी. पी. एल. के साथ प्रत्यर्थी के अनुबंध के तहत की गई थी। वास्तव में, एच. टी. पी. एल. और प्रतिवादी के बीच दिनांकित 28.07.1994 समझौते से यह स्पष्ट है कि उनके बीच एक सीधा समझौता था। हालाँकि, जैसा कि निर्विवाद है, अपीलार्थी ने एच. टी. पी. एल. लेनदेन के लिए पूरी तरह से अपना कमीशन प्राप्त किया, और इस प्रकार स्पष्ट रूप से प्रत्यर्थी और एच. टी. पी. एल. के बीच समझौते का लाभार्थी था। इसके अलावा, इस संबंध में, बहुमत पुरस्कार में यह उचित रूप से देखा गया था कि अपीलकर्ता यह नहीं दिखा सकता था कि वह किस अलग समझौते के तहत दिनांकित समझौते के अलावा ऐसी बिक्री से कमीशन का हकदार था, और किन सेवाओं के लिए, यदि लेन-देन में उसकी एकमात्र भूमिका एच. टी. पी. एल. को अपने गोदामों से माल उठाने की अनुमति देना था।

ई.

एफ.

17. वास्तव में, यह अपीलार्थी का मामला नहीं है कि उसने केवल प्रत्यर्थी को अपीलार्थी के गोदाम में अपने सामान को संग्रहीत करने की अनुमति देकर भंडारण सेवाएं प्रदान कीं (यानी कि उसने केवल प्रत्यर्थी के लिए एक गोदाम के रूप में काम किया)।वास्तव में, अपीलार्थी, प्रत्यर्थी और एच. टी. पी. एल. के बीच पत्राचार की एक श्रृंखला से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि अपीलार्थी भी प्रत्यर्थी और एच. टी. पी. एल. के बीच किए गए लेनदेन में सक्रिय रूप से शामिल था, और इस तरह उनके समझौते के तहत एक लाभार्थी था, जैसा कि ऊपर देखा गया है।अपीलार्थी

जी.

एच.



प्रत्यर्थी के निर्देशों के अनुसार बिना कोई आपत्ति उठाए प्रत्यर्थी के सामान को एच. टी. पी. एल. को जारी कर दिया, और उसके बाद लेन-देन के संबंध में पत्राचार में लगे रहे।

18. उदाहरणात्मक प्रयोजनों के लिए अपीलार्थी, प्रत्यर्थी और एच. टी. पी. एल. के बीच ऐसे कुछ संचारों का उल्लेख करना उचित होगा।उदाहरण के लिए, जैसा कि प्रत्यर्थी द्वारा एच. टी. पी. एल. को संबोधित दिनांक 19.09.1994 के संचार में उल्लेख किया गया है, अपीलार्थी को प्रत्यर्थी और एच. टी. पी. एल. के बीच समझौते के नियमों और शर्तों का सम्मान करना था। उक्त पत्राचार में अपीलार्थी के पक्ष में साख पत्र जारी करने के बारे में बातचीत का भी उल्लेख किया गया था।इसके अतिरिक्त, जैसा कि अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी को दिनांक 26.08.1994 के पत्राचार से देखा जा सकता है, अपीलार्थी ने इसे यह पुष्टि करने के लिए लिखा कि एच. टी. पी. एल. को प्रति वर्ष 16.25% की रियायती ब्याज दर पर ऋण की आपूर्ति की जानी थी, जिसकी उसी दिन प्रत्यर्थी द्वारा पुष्टि की गई थी।उसी समय, प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को किए गए दिनांकित पत्राचार से पता चलता है कि एच. टी. पी. एल. द्वारा शुरू में प्रत्यर्थी को भेजे गए ऋण पत्र को ऋण पत्र और अन्य संबंधित कागजातों के सत्यापन के बाद माल भेजने के निर्देशों के साथ अपीलार्थी को भेजा गया था।

बी.

सी.

डी.

19. एच. टी. पी. एल. लेन-देन के संबंध में अपीलार्थी के नाम पर ऋण पत्र जारी करना अन्य सभी लेन-देनों में जारी किए गए ऋण पत्रों या मांग मसौदों के मामले में अपनाई गई प्रथा के समान था, चाहे वे प्रत्यर्थी द्वारा सीधे बातचीत किए गए हों, या अपीलार्थी के माध्यम से प्राप्त किए गए हों, जो बताता है कि इस मामले में अपीलार्थी का कर्तव्य यह सुनिश्चित करना भी था कि जारी किए गए ऋण पत्र प्रामाणिक थे, और स्टैंड-बाय क्रेडिट पत्रों के मामले में, कि उन पर नियत तारीख को भुगतान की विफलता के मामले में समय पर बातचीत की गई थी, दिनांकित समझौते के संदर्भ में।

ई.

एफ.

20. न्यायालयों ने पक्षकारों के बीच अनुबंध के नियमों और शर्तों का उल्लेख करते हुए और इस तथ्य का उल्लेख करते हुए कि अप्रैल, मई और जुलाई 1995 की अवधि में एच. टी. पी. एल. को की गई बिक्री के संबंध में, प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को दिनांकित 06.12.1995 के

संचार पर भी सही ढंग से भरोसा किया। ब्याज सहित 9.20 करोड़ रुपये अभी भी प्राप्त होने थे।अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी को दिए गए उपरोक्त पत्र के उत्तर में कहा गया है कि अपीलार्थी ने मामले को सही करने के लिए कदम उठाए थे और अपीलार्थी को कुछ आंतरिक कठिनाइयाँ थीं जिन्हें तब से हल कर दिया गया था और उसके बाद प्रत्यर्थी के पास शिकायत करने का कोई आधार नहीं होगा।यह ए

जी.

एच.

1035

एमएमटीसी लिमिटेड बनाम.एम/एस वेदांत लिमिटेड. [मोहन एम. शांतनगौदर, जे.]

संचार स्पष्ट रूप से एच. टी. पी. एल. से बकाया की वसूली करने और प्रत्यर्थी को अग्रेषित करने के लिए अपीलार्थी के कर्तव्य को दर्शाता है।

21. एक अन्य महत्वपूर्ण संचार जिस पर न्यायालयों ने सही ढंग से भरोसा किया है, वह है प्रत्यर्थी को लिखा गया अपीलार्थी का पत्र, जिसमें उसे आपूर्ति किए गए माल की गुणवत्ता के संबंध में एच. टी. पी. एल. द्वारा नुकसान के लिए मुकदमा दायर करने के बारे में सूचित किया गया है।यह पत्राचार एच. टी. पी. एल. को प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी से परिचित कराए गए ग्राहक के रूप में संदर्भित करता है।महत्वपूर्ण रूप से, इसे दिनांकित 14.12.1993 समझौते के संदर्भ में संबोधित किया गया था, जो एक स्पष्ट स्वीकारोक्ति के बराबर है कि HTPL को की गई बिक्री उक्त समझौते के संदर्भ में थी।

बी.

22. मामले के इस दृष्टिकोण में, अपीलार्थी के लिए यह तर्क देना खुला नहीं है कि प्रत्यर्थी और एच. टी. पी. एल. के बीच समझौता अपीलार्थी और प्रत्यर्थी के बीच दिनांकित समझौते से स्वतंत्र था और बाद वाला ऐसे लेनदेन पर लागू नहीं होता था।23. इसके अलावा, जैसा कि बहुमत पुरस्कार और न्यायालयों द्वारा भी देखा गया है, अपीलार्थी के अधिकारियों के मौखिक साक्ष्य से संकेत मिलता है कि अपीलार्थी ने यह सुनिश्चित करने के लिए कोई प्रयास नहीं किया कि एच. टी. पी. एल. को की गई आपूर्ति से संबंधित क्रेडिट पत्रों का सम्मान किया गया था, जो अपीलार्थी की ओर से घोर लापरवाही की ओर इशारा करता है।

सी.

डी.

24. उपरोक्त चर्चा के आधार पर, हमारी राय में, बहुमत पुरस्कार में लिया गया दृष्टिकोण, जैसा कि उच्च न्यायालय द्वारा 1996 के अधिनियम की धारा 34 और 37 के तहत अपनी

शक्तियों के प्रयोग में पुष्टि की गई है, एक संभावित दृष्टिकोण है जो अपीलार्थी और प्रत्यर्थी के बीच दिनांकित समझौते की शर्तों के उचित निर्माण और रिकॉर्ड पर सामग्री पर विचार करने पर आधारित है।हमारी यह भी राय है कि विवाद अपीलार्थी और प्रत्यर्थी के बीच दिनांक 14.12.1993 के समझौते के तहत कवर किया गया था, और इस तरह विवाद उक्त समझौते के तहत मध्यस्थता खंड द्वारा नियंत्रित होता है।इस प्रकार, हम इस आधार पर बहुमत पुरस्कार में बाधा डालने का कोई कारण नहीं पाते हैं कि विवाद का विषय मध्यस्थता योग्य नहीं था।

ई.

एफ.

25. इसलिए, अपील खारिज कर दी जाती है और 2002 की अपील संख्या 949 में बॉम्बे में उच्च न्यायालय के आदेश की पुष्टि की जाती है।

जी.

देविका गुजराल

याचिका खारिज कर दी गई।

एच.